**न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस**
**अपील संख्या 38/2023 एल आर एक्ट (GCMS No 2023/48)**
**अनवान हरपाल सिह बनाम प्रेमसिह वगैरह**
**अपील विरूद्ध आदेश– तहसीलदार (भू.अ.) घड़साना दिनांक 08.09.2011**

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ |
|---|---|---|
| 10.01.2024 | अभिभाषकगण उपस्थित। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 02.01.2024 को कथन किया कि अपीलान्ट हरपाल सिह की मृत्यु वर्ष 2018 में हो चुकी है अपील अबेट कर दाखिल दफ्तर की जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट/उसके वारिसान सम्पर्क में नही है, जानकारी हेतु समय दिया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक को अपीलान्ट हरपाल सिह के संबध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने अथवा उनके वारिसानो को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही करने हेतु अवसर दिया गया। अभिभाषक अपीलांट को अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज तारीख पेशी पर इनके बारे में ना तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की और ना ही उनके वारिसानो को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही की। प्रकरण वर्ष 2011 से विचाराधीन चल रहा है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके वह उपचार चाहता है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट को पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह अपील अदम तकमील में खारिज की जाती है।<br>पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।<br>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br>बीकानेर | रिकॉर्ड लौटाया<br>9/2/24 |